

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1973/आषाढ़ 2, 1895

No. 151]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1973/ASADHA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd June, 1973

SUBJECT :— *Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1973—March, 1974 (Amendment No 2)*

No. 104-ITC(PN)/73—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters for the period April 1973—March 1974 as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book Vol II), published under the Ministry of Commerce Public Notice No 46-ITC (PN)/73, dated 2nd April, 1973.

2. The following amendments may be deemed to have been made in the aforesaid policy:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
152	Group 'K' Col. 4	The item "Shoddy Wool" wherever it occurs as an items of replenishment in this Product Group, may be deleted
153—156	Group 'L' Col. 4	The items "Shoddy Wool" and "Waste Wool" wherever these occur as items of replenishment in this Product Group, excepting against SI Nos. L.2.3 and L.3.3, may be deleted.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 जून, 1973

विषय.—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या: 22) ।

संख्या 104-प्राई० टी० सी० (पी०एन०)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 46-प्राई० टी० सी० (पीएन)/73, दिनांक 2-4-73 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेड बुक के वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन उक्त नीति में किए गए समझे जाएं :—

रेड बुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
152	वर्ग 'के' ----- कालम 4.	जहां कहीं भी मद "रही ऊत" इस उत्पाद वर्ग में प्रतिपूर्ति की एक मद के रूप में आवे तो इसे हटाया जाए ।
153-156	वर्ग 'एल' ----- कालम 4.	जहां कहीं भी मदें "रही ऊत" और "बेस्ट ऊत" क्रम संख्याएं एल० 2.3 और एल० 3.3 के सामने को छोड़ कर, इस उत्पाद वर्ग में प्रतिपूर्ति की मदों के रूप में आवें तो उन्हें हटाया जाए ।

एस० बी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।